संख्या-560/2023/आई/370791/41-1002(001)/63/2022

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त, 2023**

विषयः-जनपद वाराणसी के गुरू संत रविदास जी की जन्म स्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास प्रायोजनान्तर्गत स्वीकृत 03 घटक कार्य (ट्रामा सेन्टर से रविदास मंदिर तक 2350 मीटर सड़क के निर्माण, संत रविदास मंदिर मोड़ से एन0एच0 रोड तक प्रस्तावित 12 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण (लम्बाई 0.750 कि0मी0) एवं बी0एच0यू0 से वाया रविदास मंदिर एन0एच0 रिंग रोड तक सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 1.650 कि0मी0)) की परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2048/6-1-1(1019)/2019-20 दिनांक 04.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि जनपद वाराणसी में स्थित गुरू रविदास जी की जन्म स्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास कार्य हेतु शासनादेश संख्या-41-2019/605/41-2019-20 (बजट)/2019 दिनांक 18.02.2019 द्वारा रू0 1309.58 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-212/2019/1837/41-2019-20(बजट)/ 2019 दिनांक 16.08.2019 द्वारा रू0 1514.02 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-190/2021/936/41-2021-20(बजट)/2019 दिनांक 05.03.2021 द्वारा रू0 196.00 लाख, शासनादेश संख्या-557/2021/ 4071/41-2021-20(बजट)/2019, दिनांक 28.10.2021 द्वारा रू0 823.47 लाख, शासनादेश संख्या-718/2021/4506/41-2021-20(बजट)/2019, दिनांक 13.12.2021 द्वारा रू0 37.11 लाख एवं शासनादेश संख्या-250/2022/971/001-41-2022-20(बजट)/2019, दिनांक 19.04.2022 द्वारा रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। इस प्रकार प्रायोजना हेतु रू0 1306.58 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। आपके द्वारा प्रायोजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत उपर्युक्त 03 घटकों/सड़कों (ट्रामा सेन्टर से रविदास मंदिर तक 2350 मीटर सड़क के निर्माण, संत रविदास मंदिर मोड़ से एन0एच0 रोड तक प्रस्तावित 12 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण (लम्बाई 0.750 कि0मी0) एवं बी0एच0यू0 से वाया रविदास मंदिर एन0एच0 रिंग रोड तक सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 1.650 कि0मी0)) के निर्माण कार्यों को निरस्त करते हुए जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर 18 माह से अप्रयुक्त पड़ी धनराशि रू0 653.97 लाख को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद वाराणसी में स्थित गुरू रविदास जी की जन्म स्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास कार्य अन्तर्गत स्वीकृत घटकों में से 03 घटक कार्य की योजना (ट्रामा सेन्टर से रविदास मंदिर तक 2350 मीटर सड़क के निर्माण, संत रविदास मंदिर मोड़ से एन0एच0 रोड तक प्रस्तावित 12 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण (लम्बाई 0.750 कि0मी0) एवं बी0एच0यू0 से वाया रविदास मंदिर एन0एच0 रिंग रोड तक सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 1.650 कि0मी0)) को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-557/2021/4071/41-2021-20 (बजट) /2019 दिनांक 28.10.2021 के माध्यम से प्रायोजनान्तर्गत तृतीय किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रू0 823.47 लाख की धनराशि में से उक्त कार्यो हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी के निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 653.97 लाख को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराते हुए उक्त की सूचना एक पक्ष के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7- मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- उप निदेशक, पर्यटन (रा0यो0) निदेशालय, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- उप निदेशक, पर्यटन वाराणसी एवं विंध्याचल मण्डल, वाराणसी।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in